

उत्तर: गौविन्द लाल कानम मोड़क

प्रा.पत्र 28/2019

3-06/24

पत्रावली P.O साहब फुलाव इश्यी में
चिन्तोडा पद्वारे है
अब पत्रावली पूर्व 24 दिनांक
5-06-24 को पत्र की जावे

B.O
24/6/24

05-06/2024

पत्रावली पैषा हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग अलग समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार लेकर वर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपबन्ध अधिकारी
रावतभाटा (चिन्तोडा)

